न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 23/23 (225 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/136

उनवान

1. भूरा सिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी ग्राम तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मछला पत्नी वीरम सिंह } जाति जाटव निवासी तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. मीरादेवी पत्नी रामनिवास }
..... असल रेस्पोडेण्ट

3. भगवान सिंह पुत्र घीसोली } जाति जाटव नि0 तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. रामकली पत्नी उदल सिंह }
5. किरनदेई पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।
..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 10.02.2023 प्र0स0 8/23 उनवान मछला बनाम भगवान सिंह।

अभिभाषकगण :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री जीतेन्द्र कर्दम उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह झारौटिया उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 06.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 10.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 482 वाके ग्राम तरगवां तहसील भुसावर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रैस्पो0 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के व अप्रार्थी/तरतीवी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 वहिस्साबराबर 1/6 हिस्से काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं। प्रार्थी रैस्पो0 ने उक्त 1/3 हिस्से को दिनांक 12.01.2023 को खरीद किया था तथा उसी समय विक्रेता ने जिस स्थान पर कब्जा दिया, उसी स्थान पर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काबिज है। विवादित आराजी का अभी विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु वह ताकत के बल पर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई प्रार्थी रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अप्रार्थी अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 482 में से अपीलाण्ट ने 4 एयर रकवा दिनांक 12.08.2013 को जरिये इकरारनामा क्रय किया है एवं उक्त भूमि पर अपीलाण्ट ने पक्का निर्माण कर लिया। इसी दौरान विक्रेता ने विवादित आराजी को रैस्पो0 के लिये जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर दिया। अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत से पट्टा भी लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यथास्थिति का स्थगन जारी कर दिया जिससे अपीलाण्ट का विद्युत कनेक्शन रूक गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, विद्युत कनेक्शन हेतु स्थगन में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं बचती है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई कब्जा नहीं है। विवादित आराजी रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी है। जबरन विवादित आराजी पर नींव खोदना चाहते हैं। पट्टा गजना देवी पत्नि रामस्वरूप के नाम से लगाया है। अपीलाण्ट के पास कोई पट्टा नहीं है। मौके पर कोई मकान नहीं है। अपीलाण्ट के पास यदि कोई इकरारनामा है, तो उन्हें सिविल कोर्ट में जाना चाहिये। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी में से 4 एयर रकवा का अपने पक्ष में इकरारनामा होना कथन करते हुये, उक्त रकवे में अपना पक्का मकान स्थित होना बताते हैं। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी में अपीलाण्ट का नाम अंकित नहीं है। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख है एवं एक रिकार्डेड खातेदार को सामान्य परिस्थिति में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा आराजी रैस्पो0 के नाम होने के उपरांत भी अपीलाण्ट द्वारा कोई भी दावा सक्षम न्यायालय में उक्त कथित इकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष पाने हेतु दायर नहीं किया। अतः कथित अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट विवादित आराजी बाबत् पट्टा होना भी कथन करते हैं। हमने उक्त पट्टे का भी अवलोकन किया। उक्त पट्टा अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर किसी गजना देवी पत्नि रामस्वरूप के नाम से है, जो अपीलाण्ट को किसी प्रकार लाभ नहीं पहुँचाता है। उपरोक्त

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादत)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर